

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./226/2006

दर्ज दिनांक:-04.11.2006

1. चन्दनसिंह पता—प्रार्थी
बनाम
2. बालो पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:
दुलीचंद शर्मा

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-15.03.2019

वकील उभयपक्ष उप./ मूल दावा अपालना में खारिज किया गया है।
ऐसी स्थिति में मृतक बालो की फोती कार्यवाही न किये जाने पर यह प्रार्थना पत्र u/s 212
RTA भी अपालना में खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व जारी एक पक्षीय टी.आई.
दिनांक 04.11.2006 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते

अक्षय गोदरा, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official